HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 17171/2025

Bhanwar Singh Meena S/o Battilal Meena, Aged About 26 Years, R/o Gram Gothra, Tehsil And District Karauli 322218 (Rajasthan)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajendra Singh Raghav, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

23/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना सांगानेर, जयपुर शहर (पूर्व) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 457/2024 अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 140(3), 303(2) भारतीय न्याय संहिता में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त का घटना की रिपोर्ट में नाम नही है, घटना की रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करवायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त के भागने या फरार होने का अंदेशा नही है, वह अनुसंधान में सहयोग करने को तैयार व तत्पर है, अकारण गिरफ्तार किया गया तो उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

मैंने उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना की रिपोर्ट के अनुसार परिवादी मुकेश कुमार गर्ग अपने ट्रेलर से भवानी मंडी से जयपुर जा रहा था। तब प्रार्थी/अभियुक्त ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अपनी किराये की कार से ट्रेलर के बांयी साईड में टक्कर मार दी और परिवादी को अपनी कार में डालकर शिवदासपुरा टोल होते हुए गंगापुर सिटी ले गये तथा गाड़ी में मारपीट करते हुए परिवादी के 9,000/– रूपये, ड्राईविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा का ए.टी.एम., श्रमिक कार्ड व ट्रक की चाबी छीनकर ले गये। अनुसंधान अधिकारी ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित होने के तथ्य तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किये हैं। प्रार्थी/अभियुक्त से अनुसंधान कर परिवादी के 9,000/– रूपये व अन्य दस्तावेज बरामद किये जाने शेष होना बताया गया है। इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया हो या उसकी अपराध कारित करने में कोई भूमिका नही हो, यह प्रथम दृष्टया नही माना जा सकता है। इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुसंधान विपरीत रूप से प्रभावित होगा तथा बरामदगी नही हो पाएगी।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों की गंभीरता, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **भंवर सिंह मीना पुत्र बत्तीलाल मीना** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /166